

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या:-9322(1)/नौ-5-2021-69सा/2021
लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2021

कार्यालय आदेश

केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या F.No-1(13)PFMS/FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 एवं तत्क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:-6/2021/बी-1-499/दस-2021, दिनांक 24 जून, 2021 के अनुक्रम में नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) योजना हेतु सिंगल नोडल एजेन्सी (SNA) के रूप में राज्य मिशन निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) को नामित किया जाता है और उपरोक्त विषयगत अग्रेतर बैंकिंग सुविधा हेतु कार्यवाही किये जाने के विषयगत आईसीआईसीआई बैंक को सिंगल नोडल एजेन्सी के एकाउन्ट हेतु अधिकृत किया जाता है।


(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 3-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5-कार्यकारी निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उ0प्र0 लखनऊ।
- 6-श्री उपेन्द्र तिवारी, सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र.लखनऊ।
- 7-गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव